(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

आदेश संख्य-36 दिनांक-21-11-2023

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के पीठीसीन अधिकारी की नियुक्त हो जाने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली के न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन हेतु दाण्डिक कार्यों के सम्बंध में पूर्व की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए **थाना आदर्शमण्डी शामली** के कार्य वितरण की व्यवस्था निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है-

1- माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों को छोड़कर भा.द.सं. की धारा 302,304B,304 व 396 के मामलों, सम्पूर्ण जनपद का बाल श्रम अधिनियम, खान व खनिज अधिनियम, केवल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधिनियम, वन अधिनियम व सर्किल शामली एवं सर्किल कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, कापी राईट अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, आर.टी.ओ. चालानी, लोक सेवकों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. एवं परिवाद की सुनवाई का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को होगा, शेष अधिनियमों के सम्बंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बंधित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को होगा।

2- न्यायालय सिविल जज सी०डि०, शामली में लंबित थाना आदर्मण्डी शामली से सम्बंधित समस्त दाण्डिक प्रकृति के वादों को नवीन क्षेत्राधिकार विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज सी०डि०, शामली से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना, जिला शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

Sd/-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।